हरियाणा सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 1998

संख्या सा० का० नि० 117/संवि/अनु० 309/98.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग–I सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (i) ये नियम हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।

(ii) उनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं :

2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(घ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(ङ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र या प्रमाण पत्र की दशा में, पजांब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(च) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप क) सेवा।

भाग–II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे :
परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पद नामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त, उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता अधिवास तथा चरित्र :

4. (I) कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जैम्बिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित हो कर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग, (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए, प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भान्ति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, इसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से पूर्वगामी मास के प्रथम दिन या उससे पहले बाईस वर्ष की आयु से कम और पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक हो।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

योग्यताएं

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में आयोग द्वारा अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में, कारण, अभिलिखित करते हुये, अपने विवेक से 50 प्रतिशत तक ढील दी जा सकती है, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारिरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले, इन वर्गों के उम्मीदवार प्रर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों।

अयोग्यताएं :

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह दूसरे पक्ष पर लागू संवीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम को लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग :

9 सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

(क) निदेशक की दशा में,

(i) सीनियर स्केल या इससे ऊपर किसी भी आई० ए० एस० अधिकारी के स्थानान्तरण द्वारा;

(ख) उप सचिव (डवाकरा) की दशा में,—

(i) सिलेक्शन ग्रेड या इसके ऊपर आई० ए० एस०/एच० सी० एस० काडर से स्थानान्तरण द्वारा;

(ग) परियोजना अर्थशास्त्री की दशा में,—

(i) अनुसंधान अधिकारियों में से 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा; तथा

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) उप निदेशक (ट्राईसम) की दशा में,—

(i) परियोजना अधिकारी में से 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, तथा

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा—

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा

(ङ) वन विशेषज्ञ की दशा में,—

तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले भारतीय वन सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण द्वारा।

(च) उद्योग विशेषज्ञ की दशा में,—

तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले उद्योग विभाग से संयुक्त निदेशक के स्थानान्तरण द्वारा।

(छ) उपशुपालन विशेषज्ञ की दशा में,—

तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले हरियाणा पशु चिकित्सा श्रेणी I के स्थानान्तरण द्वारा।

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, सभी पदोन्नतियां ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर; यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्त नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है;

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति या नियुक्त किया गया हो, स्थायी होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है, या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग है, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग अलग रूप से निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता, ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नति या स्थानान्तरित किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकता है -

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो, या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायतनिकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले :

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जायें।

अनुशासन शास्तियां तथा अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा शासित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति :

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध :

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझें, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किए गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृति :

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा, निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	निदेशक	..	1	1	5900–200–6700 रुपये
2	उप सचिव (डवाकरा)	..	1	1	3700–125–4700–150–5000 रुपये
3	परियोजना अर्थशास्त्री	..	1	1	3000–100–3500–125–5000 रुपये
4	उप निदेशक (टूरिसम)	..	1	1	3000–100–3500–125–5000 रुपये
5	वन विशेषज्ञ	..	1	1	3000–100–3500–125–5000+विशेष वेतन रुपये
6	उद्योग विशेषज्ञ	..	1	1	3000–100–3500–125–5000 रुपये
7	पशुपालन विशेषज्ञ	..	1	1	3000–100–3500–125–5000 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो।
1	2	3	4
1	निदेशक	—	—
2	उप सचिव (डवाकरा)	—	—
3	परियोजना अर्थशास्त्री	(i) अर्थशास्त्र/सांख्यिकीय में एम० ए०/ ग्रामीण विकास प्रोग्राम तैयार करने, कार्यान्वित करने, मौनिटरिंग करने, मूल्यांकन करने में ज्ञान रखता हो ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	पदोन्नति द्वारा (i) अर्थशास्त्र/सांख्यिकीय में एम० ए०, (ii) अनुसंधान अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) अर्थशास्त्र/सांख्यिकीय में एम० ए० ; (ii) ग्रामीण विकास प्रोग्राम तैयार करने, कार्यान्वित करने, मौनिटरिंग करने, मूल्यांकन करने में अनु-संधान अधिकारी के रुप में 3 वर्ष का अनुभव ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
4	उप निदेशक (ट्राईसम)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ;	पदोन्नति द्वारा (i) स्नातक ;

1	2	3	4
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;	(ii) परियोजना अधिकारी के रूप में दस वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान
5	वन विशेषज्ञ	—	—
6	उद्योग विशेषज्ञ	—	—
7	पशुपालन विशेषज्ञ	—	—

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	परियोजना अर्थशास्त्री	सरकार	छोटी शास्तियां--	सरकार	--
			(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;		
2	उपनिदेशक (ट्राईसम)		(ii) परिनिन्दा ;		
			(iii) पदोन्नति रोकना ;		
			(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की या उसके भाग की वेतन वसूली ;		

1	2	3	4	5	6
			(v) संचयी प्रभाव से बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;		
			बड़ी शास्तियां—		
			(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ;		
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निरन्तर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां, स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;		
			(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये साधारणतः रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;		
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;		

1	2	3	4	5	6
			(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये अयोग्यता नहीं होगी ;		
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः अयोग्यता होगी ।		

टिप्पणी :—निदेशक, उप सचिव (डवाकरा) वन विशेषज्ञ उद्योग विशेषज्ञ, तथा पशु पालन विशेषज्ञ पदों के सम्बन्ध में शास्तियां उनके मूल विभाग के सेवा नियमों अथवा इन पदों को शास्ति करने वाले सुसंगत सेवा नियमों के अनुसार अधिरोपित की जाएंगी ।

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश पारित करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	परियोजना अर्थशास्त्री	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	सरकार	—
2	उप निदेशक (ट्रईसम)	(ii) सेवा के किसी सदस्य की अधिवर्षिता के लिये नियत आयु होने से पूर्व अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।		

टिप्पणी:—निदेशक, उपसचिव (डवाकरा), वन विशेषज्ञ, उद्योग विशेषज्ञ तथा पशु पालन विशेषज्ञ पदों के सम्बन्ध में शास्तियां उनके मूल विभाग के सेवा नियमों अथवा इन पदों को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों के अनुसार अधिरोपित की जाएंगी।

बी० डी० ढालिया,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

(Authorised English Translation)

HARYANA GOVERNMENT

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 1998

No. G. S. R.117/Const./Amt./309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Rural Development Department (Group A) Service, namely,—

PART-I GENERAL

Short title and commencement.

1. (*1*) These rules may be called the Haryana Rural Development Department (Group A) Service Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Commission" means the Haryana Public Service Commission ;

(*b*) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government ;

(*c*) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(*d*) "Institution" means,—

(*i*) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(*ii*) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;

(*e*) "recognised university" means ;

(*i*) any university incorporated by law in India ; or

(*ii*) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ;

(*iii*) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules ;

(*f*) "Service" means the Haryana Rural Development Department (Group A) Service.

PART-II RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of Posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

4. (*1*) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

(*a*) a citizen of India ; or

(*b*) a subject of Nepal ; or

(*c*) a subject of Bhutan ; or

(*d*) a Tibetan refugee who came over to India before the lst day of January, 1962, with the intention or permanertly settling in India ; or

(*e*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India ;

Provided that a person belonging to any of the categories (*b*), (*c*), (*d*) or (*e*) shall be a person in whose favour a certificates of eligibility has been issued by the Government.

(*2*) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(*3*) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless the produces a certificate of character from the Principal, Academic Officer of the University, College, School or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in this private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to the post in the Service by direct recruitment who is less than twenty-two years or more than thirty-five years of age on or before the Ist day of the month next preceding the lst date of submission of application to the Commission.

Appointing authority.

6. Appointments to the post in the Service shall be made by the Government.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct rectuitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment :

Provided that in the case of direct rectuitment, the qualifications regarding experience shall be relxable to the extent of 50 percent at the discretion of the commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

(*a*) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(*b*) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Mode of recruitment.

9. (*i*) Recruitment to the Service shall be made,—

(*a*) in case of Director,—

by transfer of any IAS officer in Senior Scale or above ;

(*b*) in the case or Deputy Secretary, (DWCRA),—

by transfer from IAS/HCS Cadre in the Selection Grade ;

(*c*) in the case of Project Economist,—

(*i*) 50% by promotion from amongst Research Officer ; and

(*ii*) 50% by direct recruitment ; or

(*iii*) by transfer or deputation of an officer already in the Service of any State Government or the Government of India ;

(*d*) in case of Deputy Director (TRYSEM),—

(*i*) 50% by promotion amongst the Project Officer ; and

(*ii*) 50% by direct recruitment ; or

(*iii*) by transfer or deputation of any officer already in service of any State Government or the Government of India;—

(*e*) in case of Forest Expert,—

by transfer of IFS Officer from Forest Department having 3 years experience;—

(*f*) in case of Industries Expert ;

by transfer of Joint Director from Industries Department ; having three years experience,—

(*g*) in case of Animal Husbandry Expert,—

by transfer of H.V.S. Class-I Officer from Animal Husbandry Department ; having 3 years experience,—

(*2*) All promotions, unless otherwise provided, be shall made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confirm any right to such promotions

Probation.

10. (*1*) Persons, appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct and recruitment one year, if appointed otherwise :

Provided that,—

(*a*) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(*b*) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the service, may in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(*c*) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(*2*) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may ,—

(*a*) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services ; and

(*b*) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(*i*) revert him to his former post ; or

(*ii*) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(*3*) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(*a*) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(*i*) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(*ii*) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(*iii*) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ;or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment or if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service, shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre ;

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in appointment, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantailly owned or controlled by the State

Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a Company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve under the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave, pension and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State legislature.

Discipline, penalties and appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowerd to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law of rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause(c) or clause(d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath or allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath or allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-servicemen, Physically, Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and savings.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(*See rule* 3)

Serial No.	Designation of posts	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
					Rs.
1	Director	—	1	1	5900—200—6700
2	Deputy Secretary (DWCRA)	—	1	1	3700—125—4700—150—5000
3	Project Economist	—	1	1	3000—100—3500—125—5000
4	Deputy Director (TRYSEM)	—	1	1	3000—100—3500 125—5000
5	Forest Expert	—	1	1	3000—100—3500—125—5000 Plus Special pay
6	Industries Expert	—	1	1	3000—100—3500—125—5000
7	Animal Husbandry Expert	—	1	1	3000—100—3500—125—5000

APPENDIX B

(*See rule* 7)

Serial No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Director	—	—
2	Deputy Secretary (DWCRA)	—	—
3	Project Economist	(i) M.A. Economics/ Statistics having knowledge in formulation, implementation, monitoring and evaluation of rural development programmes (ii) Hindi upto Matric standard	by promotion (i) Post graduate in Economics/Statistics ; (ii) 3 years experience as Research Officer ; by transfer or deputation (i) Post graduate in Economics/Statistics ; (ii) 3 years experience as Research Officer in formulation, implementation, monitoring and evaluation of rural development programmes; (iii) Hindi up to matric standard ;
4	Deputy Director (TRYSEM)	(i) Degree in Mechanical Engineering from a recognised university.	by promotion (i) Graduate ; (ii) 10 year experience as Project Officer.

1	2	3	4
		(ii) Hindi upto Matric standard.	by transfer or deputation,— (i) Degree in Mechanical Engineering from a recognised university; (ii) Hindi upto Matric standard.
5	Forest Expert	—	—
6	Industries Expert	—	—
7	Animal Husbandry Expert	—	—

APPENDIX C

[*See rule* 14(1)

Serial No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1	Project Economist	Government	Minor Penalties	Government	—
2	Deputy Director (TRYSEM)		(i) Warning wih a copy on the personal file ; (character roll).		
			(ii) Censure ;		
			(iii) withholding of promotion ;		
			(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to Central Government or State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or subsistantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ;		
			(v) withholding of increments of pay without cumulative effect ;		
			Major penalties		
			(vi) withholding of increments with cumulative effect ;		
			(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a		

1	2	3	4	5	6
			specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have effect or postponing the future increments of his pay ;—		
			(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or Service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post of Service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay or such restoration to that grade, post or service ;		
			(ix) Compulsory retirement ;		
			(x) removal from the service which shall not be a disqualification for future employment under the Government.		
			(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.		

Note—: As regards posts of Director, Deputy Secretary (DWCRA), forest Expert, Industries Expert and Animal Husbandry Expert the penalties shall be imposed in accordance with the service rules of the parent department or the relevant service rules governing these posts.

APPENDIX D

[*See rule* 14(2)]

Serial No.	Designation of Posts	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Project Economist	(1) reduction or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules govering pension :	Government	—
2	Deputy Director (TRYSEM)	(2) terminating the appointment otherwise then on his attaining the age fixed for superannuation.		

Note:— As regards posts of Director, Deputy Secretary (DWCRA), Forest Expert, Industries Expert and Animal Husbandry Expert, the penalties shall be imposed in accordanc with the service rules of the parent department or the relevant service rules governing these posts.

B. D. DHALIA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Rural Development Department, Chandigarh.

20483 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.